संख्या-3/2016/200/12-5-2016-106/2016

प्रेषक,

सर्वजीत राम,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊ:: दिनांक:: 22 मार्च, 2016

विषयः-वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-11 लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-04-रहमानखेड़ा राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, लखनऊ को व्यय वहन करने हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-बी.ए.(1)993/पुनर्विनियोग 2015-16, दिनांक 09.03.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अनुदान संख्या-11 के आयोजनेत्तर पक्ष में रहमानखेड़ा राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, लखनऊ को गैर वेतन मद के अन्तर्गत संस्थान के लेबर चिट्ठा, कोर्ट के माध्यम से दैनिक श्रमिकों को प्रतिदिन भुगतान तथा गाड़ियों का संचालन, स्टेशनरी, डीजल/पेट्रोल आदि का भुगतान किये जाने हेतु संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) के अनुसार व्यय को वहन करने हेतु धनराशि रू0 2500 हजार मात्र (रू0 पचीस लाख मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है :-

(1) उक्त अनुदान की धनराशि पर अनुदान नियमावली के समस्त नियम लागू होंगे तथा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय 16ए के नियम इस अनुदान पर लागू होंगे तथा इस संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत राजाज्ञा संख्या-1238/10-15(1)/63, दिनांक 17.01.79 में उल्लिखित निर्देशों तथा शासनादेश संख्या-ए-2364/दस-15(1)/63, दिनांक 17.01.79 में अनुलग्नित नियमावली का भी परिपालन किया जायेगा।

(2) उक्त अनुदान की धनराशि का देयक राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ द्वारा बनाया जायेगा। इस देयक पर कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित और मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा भुगतान किया जायेगा। निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ अनुदान की धनराशि का आहरण करने के उपरान्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश को सूचित करेंगे।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) उक्त जारी स्वीकृति के सापेक्ष एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय बल्कि आवश्यकतानुसार धनराशि को कोषागार से आहरण किया जाय।

2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-04-रहमानखेड़ा राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान-20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्रदत्त प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(सर्वजीत राम)
विशेष सचिव।

संख्या-200(1)/12-5-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ।
3. निदेशक सम्वर्ती सम्परीक्षा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रक) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. अनुभाग अधिकारी, कृषि अनुभाग-3
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सर्वजीत राम)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in